



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 21, 2009/अग्रहायण 30, 1931

No. 719]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 21, 2009/AGRAHAYANA 30, 1931

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2009

'सा.का.नि. 913(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल जनरल ड्यूटी काडर समूह 'क' पद भर्ती नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल जनरल ड्यूटी काडर, समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल जनरल ड्यूटी काडर समूह 'क' पद भर्ती नियम, 1999 की अनुसूची में, उप महानिरीक्षक (जनरल ड्यूटी) से संबंधित क्रम संख्यांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों और उपर उप महानिरीक्षक (जनरल ड्यूटी) से संबंधित क्रम संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. आई-12011/6/2009-संगठन]

एस. सी. शिवाजी राव, उप-सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 766(अ), तारीख 11 नवम्बर, 1999 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 849(अ), तारीख 7 नवम्बर, 2000; सा.का.नि. 526(अ), तारीख 12 जुलाई, 2001; सा.का.नि. 410(अ), तारीख 6 जून, 2002; सा.का.नि. 838(अ), तारीख 26 दिसम्बर, 2002; सा.का.नि. 360(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2003; सा.का.नि. 576(अ), तारीख 8 सितम्बर, 2004 और सा.का.नि. 453(अ), तारीख 5 जुलाई, 2005 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2009

G.S.R. 913(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 1999, namely :

1. (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre, Group 'A' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 1999, serial number 2 relating to the post of Deputy Inspector General (General Duty) and entries relating thereto and serial number 3 relating to the post of Additional Deputy Inspector General (General Duty) and entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. I-12011/6/2009-Org.]

S. C. SIVAJI RAO, Dy. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number G.S.R. 766(E), dated the 11th November, 1999 and subsequently amended by G.S.R. 849(E), dated the 7th November, 2000; G.S.R. 526(E), dated the 12th July, 2001; G.S.R. 410(E), dated the 6th June, 2002; G.S.R. 838(E), dated the 26th December, 2002; G.S.R. 360(E), dated the 30th April, 2003; G.S.R. 576(E), dated the 8th September, 2004 and G.S.R. 453(E), dated the 5th July, 2005.